"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10.] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012—फाल्गुन 19, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7.) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा जारी नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम के नियम-1 (1) में शब्द (शुल्क एवं प्रभार) के बाद शब्द और अंक "नियम, 2007" के स्थान पर शब्द और अंक "संशोधन नियम, 2006" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6, दिनांक 10 जुलाई 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

Raipur, the 10th July 2008

No. F 2-10/2006/1-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the state Government hereby makes the following Amendment in the rules, issued by even number notification dated 12th October, 2006, namely :—

AMENDMENT

In rule 1 (1) of the said rules after the word (fees and charge) in spite of the word & figure "rules, 2007" the word & figure "amendment rules, 2006" shall be substituted, namely.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. K. BAJPAI, Deputy Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 1494/डी. 41/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2012.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई 2011 के पृष्ठ क्रमांक 346(10) में प्रकाशित किये गये, छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) के अंग्रेजी पाठ में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, शब्द "साठ" को "पैंसठ" पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

No. 1494/डी. 41/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2012.—In the English version of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No. 15 of 2011), as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) dated, 11th May, 2011 at page 346 (10), in sub-section (3) of Section 4 of the Act, the word "sixty" be read as "sixty-five".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.